



छ.ग. कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)


प्रभारी अधिकारी वेटनरी पॉलीटेक्निक

// विस्तृत जानकारी //

छ0ग0 कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के वेटनरी पॉलीटेक्निक संस्थाओं में अंशकालीन शिक्षकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार (Walk In Interview) दिनांक 23/10/2019 को समय 11.00 बजे से प्रभारी अधिकारी वेटनरी पॉलीटेक्निक, छ0ग0 कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के कक्ष में प्रस्तावित है। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार निम्न मूल दस्तावेज एवं 01 सेट फोटोकापी/पासपोर्ट साइज फोटो के साथ उपस्थित होंगे।

S.No.	First Category Candidate (NET/PH.D.)	Second Category Candidate (Non-NET/Non-PH.D.)	Third Category Candidate (Without Master Degree)
1.	Age Proof Certificate	Age Proof Certificate	Age Proof Certificate
2.	10+2 Mark Sheet/Certificate	10+2 Mark Sheet/Certificate	10+2 Mark Sheet/Certificate
3.	B.V.Sc. & A.H., Degree Certificate	B.V.Sc. & A.H., Degree Certificate	B.V.Sc. & A.H., Degree Certificate
4.	M.V.Sc. Certificate, Vety. Anatomy/Vety. LPM/Vety. Medicine/Vety. Gyneacology	M.V.Sc. Certificate, Vety. Anatomy/Vety. LPM/Vety. Medicine/Vety. Gyneacology	-
5.	NET/Ph.D. Qualify Certificate	-	-
6.	Award (if any)	Award (if any)	Award (if any)
7.	Publications	Publications	Publications
8.	Experience Certificate	Experience Certificate	Experience Certificate
9.	Extra Curricular Activities Inter University level	Extra Curricular Activities Inter University level	Extra Curricular Activities Inter University level
10.	N.S.S. & NCC	N.S.S. & NCC	N.S.S. & NCC
11.	Vety. Council Registration	Vety. Council Registration	Vety. Council Registration
12.	मानदेय :-1300/- Per day	मानदेय :-1000/- Per day	मानदेय :-800/- Per day

1. अभ्यर्थी को अपना आवेदन प्रभारी अधिकारी को साक्षात्कार तिथि को प्रस्तुत करना होगा।
2. एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिसीन, गायनेकोलॉजी एवं एल0 पी0 एम0 में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।
3. First Category Candidate को पहली प्राथमिकता होगी, उसके बाद Second Category Candidate द्वितीय प्राथमिकता होगी एवं Third Category Candidate को अंतिम प्राथमिकता होगी।
4. उम्मीदवार को आने जाने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
5. नियुक्ति के सभी अधिकार विश्वविद्यालय के पास होंगे।
6. अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थिति के समय जिला सिविल सर्जन अथवा मेडिकल आफिसर, छ.ग. कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग से शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. अभ्यर्थियों की नियुक्ति अस्थायी है। नियुक्त अंशकालीन शिक्षक नियमितीकरण के लिए दावा नहीं करेगा और न ही उस पद के विरुद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छूट प्रदान की जावेगी।


प्रभारी अधिकारी